

क्रमांक:-प.1/विजा/स्था0/2018/ 3847

दिनांक 8 /08/2018

आदेश :-

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा तहसीलदार पिडावा को ज्ञापन क्रमांक 59 दिनांक 02.01.18 से राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाकर निम्न प्रकार आरोपित किया गया था।

आरोप संख्या 1. -

यह कि आपको सी0ए.जी. प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 का अनु0 संख्या 4.10.2 की टोस,पूर्ण एवं तथ्यात्मक पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1214-19 दिनांक 01.10.03,1425-32 दि031.12.13,1593-1600 दिनांक 31.1.14,1863-73 दि003.6.14,2318-25 दिनांक 10.9.16,253-57 दि014.2.17,336-40 दि028.2.14,557-62 दि030.3.14 व अ0शा0पत्र क्रमांक 2815-22 दि029.12.14,154-161 दि013.2.15,557-84 दि0 23.4.15,969-75 दि008.7.15,179-186 दि009.2.16,318-322 दि017.3.16,351-55 दि0 12.4.16 व 1186-90 दि003.08.17 तथा कारण बताओ नोटिस 642-46 दि021.6.17 व अंतिम पत्र 1701-06 दि009.11.17 से लिखे जाने के उपरान्त समय पर टोस,पूर्ण एवं तथ्यात्मक अनुपालना प्रेषित नहीं करने के कारण उक्त अनु0 जन लेखा समिति वर्ष 2016-17 के 159 वे प्रतिवेदन के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य में लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

उक्त आरोपो के क्रम में श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा तहसीलदार पिडावा ने 31.7.18 को लिखित जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया :-

1-इस तहसील के पत्र 1641 दिनांक 23.3.18 से आक्षेप की राशि वसूली 11.57 लाख वसूल कर पालना भिजवाई गई। वसूली प्रकरण अधिक पुरान था जिसकी वसूली प्रार्थी के कार्यकाल में पूर्ण कर पालना की गई।

हमारे द्वारा श्री शर्मा से द्वारा प्रस्तुत जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया, श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा तहसीलदार पिडावा के द्वारा प्रस्तुत जवाब को संतोषप्रद मानते हुवे प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

जिला कलक्टर
झालावाड
दिनांक 8/08.2018

क्रमांक सम0/18/ 3848-51
प्रतिलिपी निम्न को :-

- 1-उपखण्ड अधिकारी पिडावा
- 2-तहसीलदार पिडावा
- 3- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा तहसीलदार पचपहाड
- 4-व्यक्तिगत पत्रा0
- 5-रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
झालावाड